# संशोधित मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति, 2021

## (राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के संदर्भ में)

राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के अध्याय 4 के बिन्दु संख्या 11 (2) (क,ख,ग) में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति का निम्न प्रकार निर्धारण किया जाता है।

1. प्रदेश में संचालित मदरसों में पढ़ रहे बालक–बालिकाओं को आधुनिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मदरसों का पंजीयन किया जाता है।
2. मदरसों का पंजीयन प्रारम्भ में प्राथमिक स्तर तक किया जायेगा।
3. प्राथमिक स्तर के पश्चात निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कर पृथक से आवेदन करने पर उच्च प्राथमिक स्तर की आधुनिक शिक्षा के लिए क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है। जिसे आवश्यकतानुसार उच्चतर स्तर पर भी क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

## भाग "अ"

### 1. मदरसों का श्रेणीकरण

1. मदरसों को उनमे उपलब्ध भौतिक सुविधाओं यथा भूमि, भवन शौचालय, पेयजल आदि एवं शैक्षिक स्तर के आधार पर निम्न दो कैटेगिरी **"ए" एवं "बी"** में पंजीकृत किया जा सकेगा।

### कैटेगिरी –ए :–

2. इस श्रेणी में निम्न प्रकार के मदरसों को पंजीकृत किया जायेगा।

   i. मदरसा जो आवासीय रूप से संचालित है, ओर जिसमें आलमियत, फज़ीलत एवं दरस–ए– निज़ामी तक की केवल दीनी तालीम दी जा रही है।

   ii. मदरसा जहां उर्दू, अरबी, दीनीयात, हिफ्ज वगैरा की तालीम सानवी एवं आला दर्जे तक दी जा रही है।

   iii. मुस्लिम समुदाय के प्रबंधन द्वारा विभिन्न अन्जुमनों, ईदारों एवं संस्थानों द्वारा संचालित सामुदायिक शैक्षिक संस्थाऐं/इदारें/दरस्गाहे/मदरसें। जहाँ दीनी तालिम भी दी जाती है।

   iv. उक्त प्रकार का मदरसा अथवा मदरसा को संचालित करने वाली संस्था/समिति का स्वयं का भूमि/भवन है एवं उसका स्वत्व स्पष्ट है। मदरसें के पास भूमि एवं भवन का मालिकाना हक यथा पट्टा अथवा रजिस्ट्री आवश्यक है।

   अथवा

   भूमि एवं भवन के स्वामित्व के लिए विक्रय पत्र, बख्शीसनामा, लीज, (Other Forms of Transfer Property) है, तो उसका राज्य में स्थित किसी भी उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

   अथवा

   वक्फ सम्पत्ति के रूप में संचालित है, और वक्फ सम्पत्ति के रूप में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस् के वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है।

   v. मदरसा में छात्र–छात्राओं के लिए पर्याप्त भवन एवं अलग–अलग शौचालय सुविधा तथा पीने के पानी की माकूल सुविधा होना आवश्यक है।

   vi. इस श्रेणी में पंजीयन हेतु मदरसें में न्यूनतम छात्र संख्या 60 होना आवश्यक है। किन्तु रेगिस्तानी, पहाड़ी एवं डांग क्षेत्र वाले जिलों में संचालित मदरसों में न्यूनतम छात्र संख्या 40 होना आवश्यक है।

   vii. उक्त प्रकार के मदरसों का पंजीयन **"ए" केटेगिरी** में हो सकेगा।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

कैटेगिरी –बी :–

i. मदरसा मकतब जिसमें उर्दू, अरबी, दीनीयात आदि की इब्तिदाई स्तर तक की तालीम दी जाती हो, ओर उसमें नामांकित बच्चें अन्य विद्यालय में नामांकित ना हो।

ii. मदरसा का स्वयं का अपना भूमि भवन हो। मदरसा या इसे संचालित करने वाली संस्था का भूमि एवं भवन पर मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज केवल अपंजीकृत इकरारनामा, बख्शीसनामा, मुख्तियार नामा एवं वक्फनामा आदि ही है। और यह विवादित न हो।

iii. यदि इस श्रेणी का मदरसा जो किराये के भवन में संचालित है और वह बिन्दु (i), (iv) एवं (v) शर्ते पूर्ण करता हो तो उसे किराया नियमों/अथवा लीज नियमों के तहत न्यूनतम 5 वर्ष के लिए किराया पर दिया हो तो ऐसे मदरसों का पंजीयन शैक्षिक दृष्टि से उनकी आवश्यकता एवं औचित्य का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं बोर्ड स्तर पर परीक्षण कर पंजीयन किया जा सकेगा।

iv. मदरसा जिसमें शौचालय, पीने के पानी आदि की प्रारंभिक सुविधा हो।

v. इस श्रेणी में पंजीयन हेतु मदरसें में न्यूनतम छात्र संख्या 40 होना आवश्यक है। किन्तु रेगिस्तानी पहाड़ी एवं डांग क्षेत्र वाले जिलों में संचालित मदरसों में न्यूनतम छात्र संख्या 20 होना आवश्यक है।

vi. उक्त प्रकार के मदरसों का पंजीयन **"बी" केटेगिरी** में हो सकेगा।

## 2. पंजीयन की सामान्य शर्ते

उक्त **ए एवं बी श्रेणी** में पंजीकृत किये जाने वाले मदरसों द्वारा निम्न शर्ते पूर्ण करना आवश्यक है।

i. मदरसा मनोनीत/निर्वाचित प्रबंधन समिति द्वारा संचालित हो तथा जहां विद्यार्थी दीनी तालीम के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा हासिल कर रहे हो अथवा करने के इच्छुक हो।

ii. मदरसा बिना लाभ हानि के नाम मात्र की फीस से संचालित हो।

iii. मदरसें का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते की पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। यदि पंजीयन आवेदन के समय बैंक खाता खुला हुआ नहीं है तो पंजीयन होने के एक माह के अंदर बैंक खाता खुलवाकर बैंक खाते की पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति कार्यालय मदरसा बोर्ड/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

iv. मदरसें अथवा इसे संचालित करने वाली संस्था को सरकार/मदरसा बोर्ड से जो भी अनुदान/सहायता राशि एवं सुविधाऐं व सामग्री मिलेगी उसका नियमित लेखा जोखा मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार रखना होगा एवं उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र निर्देशानुसार प्रस्तुत करना होगा।

v. पंजीयन के समय गठित समीति में भविष्य में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना मदरसा बोर्ड को दी जायेगी।

सचिव
[illegible] मदरसा बो॰
[illegible]

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

## 3. श्रेणीवार अनुदान/सहायता/सुविधा हेतु पात्रताऐं :–

उक्त ''ए'' एवं ''बी'' श्रेणी में पंजीकृत मदरसों में उनकी श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार अनुदान, वित्तीय सहायता भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाऐं प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।

i. ''ए कैटेगिरी'' में पंजीकृत मदरसें राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं मदरसा बोर्ड व अन्य माध्यम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली समस्त प्रकार की शैक्षिक, भौतिक सुविधाओं, वित्तीय सहायता/अनुदान कम्प्यूटराईजेशन, शिक्षा सहयोगी आदि के लिये पात्र होगें। इसके लिए उस पंजीकृत मदरसें को योजना/ कार्यक्रम के निर्धारित मापदण्डों को पूरा कराना आवश्यक होगा। कम्प्यूटराजेशन के लिए तभी पात्र होगे जब विद्युत कनेक्शन, फिटिंग एवं आवश्यक विद्युत उपकरण की उपयुक्त सुविधा होगी।

ii. ''बी कैटेगिरी'' में पंजीकृत मदरसें शिक्षा सहयोगी, शिक्षण सामग्री, अन्य सहशैक्षिक साजो सामान, फैसेलिटी ग्रान्ट एवं शैक्षिक प्रकृति की अन्य सुविधाओं के लिए पात्र होगें, परन्तु भवन निर्माण, सिविल कार्य आदि के लिए वित्तीय सहायता व अनुदान के लिए तभी पात्र होगे जब वे भूमि एवं भवन के स्वामित्व व दस्तावेज के मामलें में **''ए'' कैटेगिरी** की पात्रताऐं पूर्ण कर लेगें।

## 4. अन्य बिन्दु :–

1. उक्त मदरसों का **''बी कैटेगिरी''** से **''ए कैटेगिरी''** में परिवर्तन करवाया जा सकेगा। इसके लिए ''बी कैटेगिरी'' में पंजीकृत मदरसें को ''ए कैटेगिरी'' की अहतार्यें/शर्ते पूर्ण करनी होगी। इस हेतु पूर्व पंजीकृत मदरसें को पृथक से श्रेणी परिवर्तन का आवेदन करना होगा।
2. पंजीकृत मदरसों को बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त निम्न प्रकार डी–रजिस्ट्रड (De-Register) किया जा सकेगा :–
   i. यदि पंजीकृत मदरसें का संचालन बंद हो जाता है।
   ii. मदरसा नामांकन निर्धारित न्यूनतम नामांकन से कम अथवा शून्य हो जाता है।
   iii. मदरसा पंजीयन की शर्तों एवं मापदण्डों को पूरा नहीं करता है।
   iv. यदि मदरसा संचालन समिति अथवा संस्था स्वैच्छा से डी–रजिस्ट्रड (De-Register) होना चाहते है।
   v. राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं इसके पदाधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है अथवा अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच में दोषी पाया जाता है तो।
3. मदरसा बोर्ड आवेदित मदरसें को एवं उचित समझे जाने एवं शर्ते/मापदण्ड पूरा करने पर ही पंजीयन के लिए विचार कर सकेगा। बोर्ड को युक्तियुक्त कारणों के आधार पर पंजीयन हेतु आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
4. विद्यार्थियों एवं उनकी शिक्षा के हित में मदरसों में शैक्षिक उन्नयन व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, शैक्षिक नवाचार, रिकॉर्ड संधारण तथा सुव्यस्थित मदरसा संचालन आदि के क्रम में मदरसा बोर्ड द्वारा दिये निर्देशों/सुझावों की पालना करनी होगी।
5. पंजीकृत मदरसों का संचालन के समय में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधिकृत अधिकारियों/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व अन्य द्वारा सूचित/औचक पयर्वेक्षण व निरीक्षण किया जा सकेगा। सूचित/औचक निरीक्षण में मांगे गए दस्तावेज निरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करने होगे।
6. निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले मदरसों का पंजीयन करने का कार्य राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीयन आदेश जारी किये जायेगें।

सचिव
[illegible] मदरसा बोर्ड
[illegible]

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

7. विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्य कारणों से समुचित परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर औचित्य सिद्ध होने पर पंजीकृत मदरसों का स्थान परिवर्तन केवल उसी शहर–कस्बे एवं ग्राम में अनुज्ञ रहेगा जिसमें यह मदरसा स्थित/संचालित है।

## 5. पंजीयन प्रक्रिया :–

1. पंजीयन हेतु मदरसें को बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उक्त दस्तावेजों का सत्यापन कर समस्त दस्तावेज सहित मूल आवेदन बोर्ड को आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अपनी अभिशंषा सहित बोर्ड को भिजवाना अनिवार्य होगा।
2. मदरसा पंजीयन हेतु आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाईट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकेगा अथवा मदरसा बोर्ड व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से 100/– रूपये का शुल्क देकर छपा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
3. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे :–
    i. मदरसें के सदर/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित उपलब्ध भौतिक सुविधा प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
    ii. सदर एवं सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    iii. मदरसें के भूमि, भवन संबंधी आवश्यक दस्तावेज।
    iv. मदरसे का उद्देश्य एवं संविधान, यदि कोई निर्धारित रखा है।
    v. मदरसा संचालन का रिकॉर्ड–यथा बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, मदरसा प्रबंधन कमेटी का कार्यवाही विवरण एस.आर. रजिस्टर आदि।
    vi. मदरसे में अध्ययनरत विद्यार्थियों की नामवार व कक्षावार सूची।
    vii. मदरसे में अध्ययन करवा रहे शिक्षकों एवं मौलवियों की सूची, योग्यता विवरण नमूना हस्ताक्षर के साथ।
4. सत्यापन रिपोर्ट व अनुशंषा के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित मदरसें का तय मानदण्डों के आधार पर भौतिक सत्यापन करेगे एवं भौतिक सत्यापन में तथ्यों का अनुमोदन कर पंजीयन हेतु श्रेणी का निर्धारण कर, अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ मूल आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय को भिजवायेगें।
5. पंजीयन शुल्क 500/– निर्धारित किया जाता है कि उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" के नाम से तैयार करवाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

# भाग "ब"

## पंजीकृत मदरसों का प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नयन

प्राथमिक स्तर तक पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों के रूप में क्रमोन्नत करने की नीति के निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित करते हुए क्रमोन्नयन नीति निर्धारण की जाती है :—

| निर्धारित मानदण्ड | न्यूनतम योग्यता |
|---|---|
| 1 रजिस्ट्रेशन | मदरसा बोर्ड में प्राथमिक स्तर के मदरसें के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है। |
| 2 शिक्षा भवन | 05 कक्षा—कक्ष, एक प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य कक्ष, स्टोर, पेयजल, शौचालय छात्र—छात्राओं के लिए पृथक—पृथक। |
| 3 श्रेणी के अनुसार क्रमोन्नाति | 1. "ए" केटेगिरी के प्राथमिक मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर पर "ए" केटेगिरी में क्रमोन्नत किया जायेगा।<br>2. "बी" श्रेणी के मदरसें जो क्रमोन्नयन के लिये आवेदन करेंगे उस समय उन मदरसों में भौतिक सुविधाओं यथा भवन, कक्षा—कक्ष, शौचालय पेयजल एवं शैक्षिक दृष्टि से छात्र/छात्राओं की उपलब्धता गत वर्षों के प्राथमिक स्तर के नामांकन/ठहराव को ध्यान में रखते हुये औचित्य का परीक्षण कर ही "बी" श्रेणी में क्रमोन्नयन किया जा सकेगा। |
| 4 वित्तीय स्त्रोत | 1. मदरसे की नियमित आय का आंकलन।<br>2. मदरसें के बैंक पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति। |
| 5 स्टाफ | 05 अध्यापक जो प्रशिक्षित हो। जिनमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के अध्यापक होने चाहिए। |
| 6 फर्नीचर | विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की संख्या व आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर की उपलब्धता यथा :—<br>1. उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी डेस्क की मेज/स्टूल—बैंच, दरी—फर्श छात्र संख्या के अनुसार।<br>2. अध्यापक मेज और कक्षा/वर्ग कुर्सी के अनुसार।<br>3. प्रधानाध्यापक मेज—एक<br>4. प्रधानाध्यापक कक्ष कुर्सी—पांच<br>5. अध्यापक कक्ष मेज बड़ी—एक<br>6. अध्यापक कक्ष कुर्सी—पांच<br>7. आलमारी (1) प्रधानाध्यापक—दो (2) परीक्षा और कार्यालय अभिलेख—दो |
| 7 पुस्तकालय | विद्यार्थियों की संख्या के दृष्टिगत पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएें आदि<br>1. दैनिक समाचार पत्र—दो<br>2. बालोपयोगी पत्रिका—दो<br>3. साप्ताहिक पत्रिका—एक<br>4. पुस्तकें—300 अतिरिक्त |
| 8 अध्ययन/अध्यापन सामग्री | मदरसे में टीचिंग—लर्निंग सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता यथा :—<br>1. ब्लैक बोर्ड—कक्षानुसार आवश्यक<br>2. ज्योमेट्री बॉक्स लकडी का बडा—एक<br>3. ग्लोब बड़ा—एक<br>4. चार्ट—पाठ्यक्रम के अनुसार<br>5. मॉडल्स—पाठ्यक्रम के अनुसार<br>6. नक्शें – जिला, राज्य, देश और विश्व—एक सैट<br>7. नक्शें प्राकृतिक, राजनैतिक, वनसम्पदा, खनिज एवं यातायात—एक सैट |

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| | 8. रोल अप बोर्ड–तीन<br>9. पाठ्यक्रम – एक सैट<br>10. पाठ्यपुस्तक – प्रति कक्षा–एक सैट<br>11. अध्यापक सदर्शिका– प्रति कक्षा एक सैट<br>12. विज्ञान सामग्री– आवश्यकतानुसार |
| 9 खेल सामग्री | खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता हो यथा :–<br>1. फुटबाल– चार<br>2. वॉलीवाल मय नेट– चार<br>3. हैण्डबाल–दो<br>4. सॉफ्ट बाल– दो<br>5. शॉट पुट (जूनियर)–एक<br>6. डिस्क (जूनियर)–एक<br>7. अन्य इन्डोर गैम/खेल से संबंधित आवश्यकतानुसार सामग्री |
| 10 फीस | निःशुल्क/आवश्यकता हो तो मामूली फीस। |
| 11 गणवेश (यूनीफार्म) | मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित। |
| 12 पाठ्यक्रम | राज्य सरकार/बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से शिक्षण कराना होगा तथा दीनी तालीम का पाठ्यक्रम मदरसा प्रबन्ध समिति के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। |
| 13 प्रबंधन समिति | मदरसें का संचालन करने हेतु मदरसा प्रबंधन समिति होगी। क्रमोन्नयन के समय इसका सत्यापन करवाया जायेगा। इसमें परिवर्तन की सूचना मदरसा बोर्ड को दी जायेगी। |
| 14 मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन | मदरसा बोर्ड द्वारा पदस्थापित मदरसा शिक्षा सहयोगियों को मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाए दी जायेगी जो राज्य सरकार/बोर्ड से देय होगी तथा मदरसा कमेटी द्वारा पदस्थापित शिक्षकों का वेतन/मानदेय मदरसा प्रबंधन समिति स्वयं निर्धारित कर अपने स्तर से भुगतान करेगी। |
| 15 निरीक्षण | संस्था की जांच/निरीक्षण किसी भी समय मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। संस्था को सभी आवश्यक अभिलेख/विवरण उपलब्ध कराने होंगे। |

**क्रमोन्नयन प्रक्रिया :–**

1. पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा।
2. मदरसा आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाईट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से 100/– रूपये का शुल्क देकर छपा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
3. मान्यता शुल्कः– मान्यता शुल्क रू. 1000/– होगा। उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट " राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" के नाम से बनाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. शपथ–पत्रः– आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में मदरसा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शपथ पत्र रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मदरसे का भौतिक सत्यापन करेगें एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति पाए जाने पर आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज सहित मूल

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

ही राजस्थान मदरसा बोर्ड को अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ आवेदन प्राप्ति की दिनांक से एक माह के अन्दर अग्रेषित करेगें।

6. बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर क्रमोन्नयन की कार्यवाही की जाएगी।
7. नीति के अनुसार योग्य पाए गए मदरसों का क्रमोन्नती आदेश जारी किया जायेगा।

## पंजीयन/क्रमोन्नत संबंधित विवादों का निस्तारण :–

मदरसें के पंजीयन एवं क्रमोन्नयन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद, अस्पष्टता एवं परिवेदना के निस्तारण के लिये निम्न सदस्यों की एक कमेटी गठित की जायेगी, जिसकी अभिशंषा के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर/अथवा प्रतिनिध | सदस्य |
| 3. | सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर। | सदस्य सचिव |

**यह आदेश मदरसों के पंजीयन एवं क्रमोन्नयन के क्रम में राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेशों एवं निर्देशों के अतिक्रमण में जारी किये जाते है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगें।**

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

# राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

## मदरसा पंजीयन आवेदन पत्र की चैक लिस्ट

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सदर/सचिव एवं मदरसा प्रबन्धन समीति के सदस्यों के नाम, पते व मोबाईल नम्बर तथा उनके हस्ताक्षर सहित (कमेटी में एक ही परिवार के सदस्य न हो) पत्रावली उपलब्ध है। | हाँ/नही |
| 2. | भूमि भवन संबंधी दस्तावेज संलग्न है। जिनका पंजीयन फार्म के बिन्दु संख्या 08 में उल्लेख किया है। | हाँ/नही |
| 3. | मदरसे में निःशुल्क शिक्षा या फीस का कक्षावार विवरण (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 4. | पंजीयन फार्म के अन्त में की गई घोषणा निम्नांकित में से किसी एक व्यक्ति से प्रमाणित होना चाहिए)<br>स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/जिला परिषद सदस्य/ प्रधान /उप प्रधान/ पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/उप सरपंच/वार्ड पंच/नगर निगम महापौर/उपमहापौर/नगर परिषद/नगर पालिका का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद/राजकीय कर्मचारी। | हाँ/नही |
| 5. | मदरसा संचालन का उद्देश्य एवं संविधान/आइन, यदि कोई निर्धारित कर रखा हो (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 6. | बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति सदर/सचिव द्वारा प्रमाणित (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 7. | संलग्न प्रपत्र में बच्चों के नामांकन की स्थिति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रमाणित (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 8. | निर्धारित प्रपत्र में सदर/सचिव का शपथ पत्र (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 9. | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 10. | मदरसें के छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध है। | हाँ/नही |
| 11. | पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। | हाँ/नही |
| 12. | यदि बैंक खाता खुला हुआ है तो मदरसा समिति के बैंक खाते की पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति आवेदन के साथ (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 13. | मदरसें में अध्ययन करवा रहे शिक्षकों एवं मौलवियों की सूची योग्यता विवरण सहित मय हस्ताक्षर के साथ (संलग्न) है। | हाँ/नही |
| 14. | मदरसा भवन के अन्दर या बाहर के न्यूतम 2-2 फोटोग्राफ संलग्न है। | हाँ/नही |
| 15. | मदरसे की भूमि सरकारी अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ नहीं हो अर्थात् भूमि किसी भी प्रकार से विवादित ना हो। इसका सदर द्वारा दिया गया नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ-पत्र फॉर्म के साथ नियत प्रारूप में प्रस्तुत करें।(संलग्न है) | हाँ/नही |

**हस्ताक्षर सदर** **हस्ताक्षर सचिव**

प्रमाणित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 15 तक की जाँच मेरे द्वारा मूल दस्तावेज से कर ली गई है। मदरसा उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना कर रहा है। अतः मदरसा पंजीयन नीति 2021 के अनुसार पंजीयन की अभिशंषा की जाती है।

**हस्ताक्षर**
**जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी**

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

# राजस्थान मदरसा बोर्ड

## मदरसा पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नाम मदरसा एवं पूर्ण पत्ता (जिसका पंजीयन चाहा गया है) | | | |
| | 1. मदरसा का नाम | | | |
| | 2. ग्राम / मौहल्ला | | 3. पोस्ट | |
| | 4. तहसील | | 5. जिला | |
| | | | | (राजस्थान) |
| | पिन | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | मदरसा कब से संचालित है ? वर्ष लिखे। | |
| 3. | जिस संस्था / कमेटी द्वारा मदरसा संचालित है उसका नाम व पूर्ण पता, सदर / सचिव का टेलीफोन नम्बर | |
| 4. | यदि संस्था पूर्व में किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत है, तो उसका पूर्ण विवरण एवं फोटो प्रति. | |
| 5. | इन्तजामिया कमेटी समाज द्वारा मनोनित है या निर्वाचित (यदि निर्वाचित है तो चुनाव कब से कितने वर्षो के लिए किया गया है अंकित करें) | |
| 6. | मदरसा संचालन हेतु वार्षिक आय का स्त्रोत | राशि.......................... |

7. मौलवी / मुदर्रिस, जो मदरसो / मस्जिदों में दीनी तालीम देते है उनका पूर्ण विवरणः–

| क्र. स. | नाम मौलवी / मुदर्रिस | योग्यता | पूर्ण पता मय टेलिफोन / मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | मदरसे की भूमि भवन की प्रकृति, स्वामित्व दस्तावेज व मालिकाना हक के साथ में आपका मदरसा निम्न में से किस क्रम का है? स्पष्ट अंकित करें। | |

1. उक्त प्रकार के मदरसा को संचालित करने वाली संस्था / समिति का स्वयं का भूमि / भवन है एवं उसका स्वामित्व स्पष्ट है। मदरसे के पास भूमि एवं भवन का मालिकाना हक यथा पट्टा अथवा रजिस्ट्री आवश्यक है
2. भूमि एवं भवन के स्वामित्व के लिए विक्रय पत्र, बख्शीसनामा, लीज / (Other Forms of Transfer Property) है तो उसका राज्य में स्थिति किसी भी उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।
3. वक्फ सम्पति के रूप में संचालित है, और वक्फ सम्पति के रूप में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस् के वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है।
4. मदरसा का स्वयं का अपना भूमि भवन हो। मदरसा या इसे संचालित करने वाली संस्था का भूमि एवं भवन पर मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज केवल इकरारनामा, बख्शीसनामा, मुख्तीयारनाम एवं वक्फनामा आदि ही है। और ये

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

विवादित ना हो।

5. यदि इस श्रेणी का मदरसा जो किराये के भवन में संचालित है व पंजीयन नीति के भाग "अ" के विन्दु संख्या (i), (iv) एवं (v) शर्ते पूर्ण करता हो तो उसे किराया नियमों/अथवा लीज नियमों के तहत न्यूनतम 5 वर्ष के लिए किराया पर दिया हो तो ऐसे मदरसे का पंजीयन शैक्षिक दृष्टि से उनके आवश्यकता एवं औचित्य का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं बोर्ड स्तर पर परीक्षण कर पंजीयन किया जा सकेगा।

9. मदरसे में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की कक्षावार कुल संख्या (Boys & Girls Total)

| कक्षा 1 | | | कक्षा 2 | | | कक्षा 3 | | | कक्षा 4 | | | कक्षा 5 | | | कक्षा 6 | | | कक्षा 7 | | | कक्षा 8 | | | कुल योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | मदरसे में छात्रावास है, तो उसकी स्थिति एवं उसमें रहने वाले बच्चों की संख्या व उनकों दी जाने वाली सुविधाएं। (विवरण अंकित करें) | |
| 11. | क्या मदरसे में आधुनिक शिक्षा (स्कूली शिक्षा) भी दी जा रही है? यदि हां तो शिक्षा देने वाले शिक्षको का विवरण (सूची संलग्न करें) | |
| 12. | मदरसे में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाती है या नहीं? यदि हां तो विवरण दे। (मदरसे के स्वयं के कितने कम्प्यूटर है) | |
| 13. | .मदरसे का शैक्षिक स्तर क्या है इनमें जिस भी श्रेणी हो उसको अंकित करे।<br>(अ) मदरसा जो आवासीय रूप से संचालित है, और जिसमें केवल दीनी तालीम दी जा रही है।<br>(ब) मदरसा जहां उर्दू, अरबी, दीनीयात, हिफ्ज वगैरा की तालीम सानवी (मीडिल) एवं आला, (सैकेण्ड्री) दर्जे तक दी जा रही है।<br>(स) मुस्लिम समुदाय के प्रबंधन द्वारा विभिन्न अन्जुमनों, ईदारों एवं संस्थानों द्वारा संचालित सामुदायिक शैक्षिक संस्थाऐं/इदारें/दरसगाह/मदरसें।<br>(द) मदरसा जिसमें उर्दू, अरबी, दीनीयात आदि की इब्तिदाई (प्राथमिक) स्तर तक की तालीम दी जाती हो, और उसमें नामांकित बच्चें राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालय आदि में आधुनिक शिक्षा के लिए नामांकित ना हो, पूर्ण समय केवल मदरसें में ही पढ़ते हो। | |
| 14. | यदि मदरसा उर्दू, अरबी, दीनियात के इम्तेहानात अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं/इदारों/बोर्ड के माध्यम से करवा रहा है, तो उसका पूर्ण विवरण। | |
| 15. | मदरसे में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, तो उसका विवरण। | |
| 16. | क्या मदरसा रेगिस्तानी/पहाड़ी/डांग क्षेत्र /कच्ची बस्ती/दूर ग्रामीण क्षेत्र में है? यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण दे। | |
| 17. | इस मदरसें से 02 किलोमीटर परिधि में संचालित पंजीकृत अन्य मदरसों के नाम व उनकी दूरी लिखे। | |
| 18. | इस मदरसें से 03 किलोमीटर की परिधि में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ सैकण्ड्री एवं सीनियर सैकण्ड्री/राजकीय विद्यालय के का नाम व दूरी लिखे। | |
| 19. | मदरसा का खाता संख्या व बैंक का नाम (यदि हो तो) | |
| 20. | मदरसे के पास खेल मैदान है अथवा नहीं? यदि है तो कितना बड़ा है, विवरण दें। | |
| 21. | मदरसे में विद्युत कनेक्शन है अथवा नहीं | |
| 22. | निकटतम नोडल केन्द्र विद्यालय का नाम | |

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

## घोषणा

हम शपथ पूर्वक घोषणा करते है कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 22 तक की दी गई सभी सूचनाएँ हमारे ज्ञान व जानकारी के अनुसार पूर्णतया सही है व इनमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना छुपाई नहीं गई है।

सचिव का नाम
हस्ताक्षर
मदरसे की मोहर

सदर का नाम
हस्ताक्षर
मदरसे की मोहर

घोषणाकर्ता की पहचान का प्रमाणीकरण

(नाम.............................................................)
मोहर सहित हस्ताक्षर

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड

Scanned with CamScanner

# सदर व सचिव द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(100 रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो)

## शपथ– पत्र

सदर.............................................पुत्र/पुत्री श्री............................................जाति...........................

उम्र................. ग्राम/ मोहल्ला........................... पोस्ट...................तहसील.................. जिला.............................. का निवासी हूँ जो कि निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूँ।

सचिव.......................................................................पुत्र/पुत्री श्री...........................................................जाति.........................

उम्र................ ग्राम/ मोहल्ला................................ पोस्ट..............................तहसील.......................... जिला.............................. का निवासी हूँ जो कि निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं मदरसा............................................................................................................सदर हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं मदरसा............................................................................................................सचिव हूँ।
3. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि मदरसा विगत......... वर्षो से चला आ रहा है एंव इसमें.................बच्चे रोजाना तालीम हासिल करते है।
4. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि यह मदरसा किसी अन्य राजकीय संस्था से पंजीकृत नही है।
5. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि इस मदरसा में उर्दू–अरबी व दीनियात की दीनी तालीम के साथ–साथ दुनयावी तालीम भी दी जाती है।
6. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि उक्त मदरसे मे शिक्षा निःशुल्क/नाम मात्र की फीस पर दी जाती है।
7. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि मदरसे का किसी भी राजनैतिक पार्टी आदि से कोई संबंध नही है।
8. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि मदरसे को राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्यधारा से जोडे रखेंगें।
9. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि पंजीयन के पश्चात मदरसा बोर्ड अधिनियम 2020 एवं पंजीयन नीति 2021 की शर्तो एवं बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालना करेंगें।
10. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि मदरसा भूमि व उस पर बना हुआ भवन पूर्णतया मदरसा व मदरसा संचालन समिति के अधीन है जो सार्वजनिक उपयोगार्थ है। इस पर किसी प्रकार किसी व्यक्ति व परिवार विशेष का कोई हक नहीं है।
11. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि मदरसों की भूमि व भवन का विवरण पंजीयन फॉर्म के बिन्दु संख्या 8 में अंकित क्रम संख्या ........ के अनुसार है।
12. हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि यह मदरसा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर नहीं बनाया गया है। यह मदरसा भूमि किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है व पूर्णतः पाक/साफ है।
13. यदि मदरसा प्रबंधन समिति में कोई संशोधन परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना मदरसा बोर्ड को देंगें।

**शपथ ग्रहिता**
**सचिव का नाम व हस्ताक्षर मय सील**

**शपथ ग्रहिता**
**सदर का नाम व हस्ताक्षर मय सील**

**सत्यापन**

**मै, उक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र के क्रम संख्या 1 से 13 तक दी गई विषय वस्तु मेरी जानकारी व ज्ञान के अनुसार सही है तथा कुछ भी छिपाया नही गया है।**

**दिनांक** **शपथ ग्रहिता** **शपथ ग्रहिता**

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

# राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
## मदरसा पंजीयन हेतु भौतिक सत्यापन प्रपत्र

1. मदरसे का नामः–............................................................................................................................
   पूरा पता..........................................................वार्ड/मोहल्ला.................................................................
   शहर/कस्बा/ग्राम.............................ब्लॉक...................तहसील...............जिला..........................................
2. मदरसे को चलाने वाली संस्था/अंजुमन/बिरादरी/पंचायत का विवरणः–..........................................
   ........................................................................................................................................................
3. निकटतम चलने वाले राजकीय विद्यालय का नामः–...................................दूरी...............................
4. निकटतम पंजीकृत मदरसे का नाम..............................................................दूरी...............................
5. मदरसे से (2) किलोमीटर की परिधि में पूर्व में बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों की संख्याः
6. मदरसा संचालन समिति का विवरणः–

| क्रम संख्या | पद | नाम | पता/फोन/मो नं. | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सदर | | | |
| 2. | सचिव | | | |
| 3. | सदस्य | | | |
| 4. | सदस्य | | | |
| 5. | सदस्य | | | |
| 6. | सदस्य | | | |
| 7. | सदस्य | | | |
| 8. | सदस्य | | | |
| 9. | सदस्य | | | |
| 10. | सदस्य | | | |
| 11. | सदस्य | | | |

7. निम्न 5 प्रकार में से मदरसा किस प्रकार का है उस पर सहीं (V) का निशान लगाएं
   1. क्या मदरसा आवासीय है? (जिसमें बाहर के बच्चे पढ़ते है और वही रहते है) (   )
   2. मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल नही जाते पूरे समय केवल मदरसे मे ही स्कूली शिक्षा लेते है। (   )
   3. क्या मदरसे में पढने वाले बच्चे स्कूली शिक्षा हेतु स्कूल में जाते है तथा मदरसे में केवल उर्दू, अरबी, कुरआन पढ़ने सुबह–शाम पार्ट टाइम आते है। (   )
   4. मदरसा किसी व्यक्ति का निजी विद्यालय है जहां फीस ली जाती है। (   )
   5. मदरसे में फीस ली जाती है परन्तु मदरसा समाज द्वारा संचालित है किसी एक व्यक्ति का नहीं है। (  )
   6. पंजीयन नीति के नियम, शर्तो के मानदण्डों के अनुसार मदरसा किस श्रेणी का है।
8. मदरसा प्रबंधन समिति का बैंक में खाता संख्या.......................... बैंक का नाम......................शाखा.......................
9 मदरसा भवन की स्थिति आवेदन पत्र में प्रस्तुत व उल्लेखित दस्तावेज व विवरण के अनुसार भौतिक सत्यापन कर स्पष्ट स्थिति लिखें:– (V सही का निशान लगाए)
   1. स्वयं मदरसे का भवन   2. किराये का   3. मस्जिद में
   4. अन्य...............................
10 भवन की स्थितिः–

| कमरों की संख्या | खेल मैदान | बिजली कनेक्शन | पेयजल व्यवस्था | शौचालय | बालिका शोचालय |
|---|---|---|---|---|---|
| | है/नहीं | है/नहीं | है/नहीं | है/नहीं | है/नहीं |

अ
सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

1. मदरसें में नामांकित बच्चों की संख्याः–

**प्राथमिक स्तर (B-बालक G-बालिका T-योग )**

| नामांकन | 1. | | | 2. | | | 3. | | | 4. | | | 5. | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| रजिस्टर में दर्ज नामांकन। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| निरीक्षण के समय उपस्थित बच्चे | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूरे समय मदरसे मे दीनी व स्कूली तालीम हासिल करने वाले बच्चो की सख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्कूल जाने वाले उन बच्चों की संख्या जो मदरसे में केवल दीनी तालीम (उर्दू अरबी) पढ़ने आते है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**उच्च प्राथमिक स्तर (B-बालक G-बालिका T-योग )**

| नामांकन | 1. | | | 2. | | | 3. | | | 4. | | | 5. | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| रजिस्टर में दर्ज नामांकन। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| निरीक्षण के समय उपस्थित बच्चे | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूरे समय मदरसे मे दीनी व स्कूली तालीम हासिल करने वाले बच्चो की सख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्कूल जाने वाले उन बच्चों की संख्या जो मदरसे में केवल दीनी तालीम (उर्दू अरबी) पढ़ने आते है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12. दीनी तालीम देने वाले मौलवी/हाफिज आलिम व मुदर्रिस के नाम व उनकी योग्यताः–

| क्र. सं. | नाम | पता | योग्यता |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

13. मदरसा कमेटी की तरफ से लगाए गए शिक्षको का विवरण

| क्र. सं. | नाम | पता | योग्यता |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**(सदर/सचिव के नमूने के हस्ताक्षर मय सील, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सामने)**

| नाम सदर/सचिव | हस्ताक्षर | मोहर (सील) | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित |
|---|---|---|---|
| 1. सदर.................................... | | | |
| 2. सचिव.................................... | | | |

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

# जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाणीकरण

1. मैने मौके पर जाकर आज दिनांक ........................को मदरसे .................... का भौतिक सत्यापन कर लिया है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे केवल मदरसे मे ही दीनी/आधुनिक तालीम हासिल करते है। उनका किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल में दोहरा नामांकन नहीं है।
2. मैंने स्वयं पंजीयन फॉर्म में अंकित विवरण व दस्तावेज के अनुसार भौतिक सत्यापन कर लिया है। मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति 2021 के शैक्षिक व भौतिक मापदण्डों/शर्तो के अनुसार यह मदरसा आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु पंजीयन योग्य है/नही है।
3. मदरसा पंजीयन क्रमोन्नयन नीति 2021 के मापदण्डों/शर्तो के अनुसार मेरे सत्यापन के पश्चात् यह मदरसा......................श्रेणी में पंजीयन योग्य है। अतः मैं इस मदरसे का पंजीयन...................श्रेणी में करने की सिफारिश करता हूँ।

संलग्न :– दस्तावेजों का विवरण व पृष्ठ संख्या

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता
नाम ..........................................................
मोहर ..........................................................
मोबाईल न......................................................
कार्यालय/फोन न.........................................

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

## राजस्थान सरकार
## राजस्थान मदरसा बोर्ड
## मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. मदरसा का नाम

2. मदरसा का स्थान व पूर्ण पता

3. मदरसा किस श्रेणी का हैं।

4. मदरसा की पंजीयन संख्या एवं पंजीयन दिनांक की (प्रति संलग्न करें)
5. वर्तमान में कार्यरत मदरसा, प्रबन्धन समिति का पूर्ण विवरणः–

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | पद | पता | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6. मदरसा का विधान (दस्तूर) की प्रति संलग्न करें।
7. मदरसा के प्रधानाध्यापक सहित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ का विवरणः–

| क्र. सं. | नाम | पिता का नाम | पद | योग्यता | | जन्म तिथि | नियुक्ति तिथि | विषय | चरण (शिक्षा सहयोगी के लिए) | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | शैक्षिक | प्रशैक्षिक | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

8. पंजीयन के समय मदरसा भूमि–भवन, भूमि टाईटल, निर्माण एवं भौतिक सुविधाओं में परिवर्तन/संशोधन एवं विस्तार हुआ हो तो उसका विवरणः–

| पंजीयन के समय स्थिति | वर्तमान में स्थिति |
|---|---|
| | |

9. वर्तमान में उपलब्ध भवन का पूर्ण विवरण लिखें।
    1. प्रधानाध्यापक कक्ष
    2. कक्षा कक्ष
    3. शौचालय
    4. पेयजल
    5. पुस्तकालय

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

6. खेल मैदान

10. ब्लू प्रिन्ट की प्रति भी साथ में प्रस्तुत की जाएँ, जिसमें उक्त सभी निर्मित स्थल स्पष्ट रूप से अंकित हो।

11. वित्तीय स्थिति का विवरणः–

मदरसा के गत तीन वर्ष के आय–व्यय एवं तुलना–पत्र (Balance Sheet) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित संलग्न करें।

12. (1) मदरसा के पास उपलब्ध फर्नीचर का विवरणः–

| क्र. सं. | फर्नीचर | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी डेस्क की मेज/स्टूल–बैंच, दरी–फर्श छात्र संख्या के अनुसार। | |
| 2. | अध्यापक मेज और कुर्सी कक्षावार | |
| 3. | प्रधानाध्यापक मेज | |
| 4. | प्रधानाध्यापक कक्ष कुसी | |
| 5. | स्टाफ कक्ष मेज | |
| 6. | स्टाफ कक्ष कुर्सी | |
| 7. | अलमारी | |
| 8. | अन्य | |

(2) मदरसा के पास अध्ययन अध्यापन सामग्री का विवरणः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ब्लैक बोर्ड–कक्षानुसार | |
| 2. | ज्योमेट्री बॉक्स लकड़ी का बड़ा | |
| 3. | ग्लोब बड़ा | |
| 4. | चार्ट–पाठ्यक्रम के अनुसार | |
| 5. | मॉडल्स–पाठ्यक्रम के अनुसार | |
| 6. | नक्शे–जिला, राज्य, देश और विश्व | |
| 7. | नक्श प्राकृतिक, राजनैतिक, वनसम्पदा, खनिज एवं यातायात | |
| 8. | रोल अप बोर्ड | |
| 9. | अन्य | |

(3) विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय में संधारित पत्र–पत्रिकाएँ एवं पुस्तकों का विवरणः–

| क्र.सं. | पत्र–पत्रिकाएँ/पुस्तकें | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | दैनिक समाचार पत्र | |
| 2. | बालोपयोगी पत्रिका | |
| 3. | साप्ताहिक पत्रिका | |
| 4. | पुस्तकें | |

13. मदरसा के नाम 10000/– रूपये की एफ.डी. खाते में करानी होगी। (संलग्न करें)

14. बालक/बालिकाओं की कक्षावार/वर्गवार संख्या

| कक्षा 1 | | | कक्षा 2 | | | कक्षा 3 | | | कक्षा 4 | | | कक्षा 5 | | | कक्षा 6 | | | कक्षा 7 | | | कक्षा 8 | | | कुल योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

15. मदरसा में संचालित आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण लिखे।
16. मदरसा आवासीय है या गैर आवासीय है, छात्र/छात्राओं का विवरण लिखे।

17. मदरसा में छात्रावास की व्यवस्था का विवरण लिखे। (यदि मदरसा आवासीय)

18. मदरसा के आस–पास समान स्तर, के संचालित अन्य पंजीकृत मदरसों के नाम, पते एवं मदरसों से दूरी लिखे।

19. विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, खेलकूद, मनोरंजन आदि की व्यवस्था के विषय में टिप्पणी लिखे।

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में उल्लेखित सभी विवरण सही हैं। हमने मान्यता सम्बन्धी नियमों/शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हैं। हम मान्यता सम्बन्धी वर्तमान शर्तों और समय–समय पर परिवर्तित एवं संशोधित नियमों की पालना करेंगे। मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति 2021 के प्रावधानों/शर्तों का अनुपालन करते रहेंगे।

**हस्ताक्षर सचिव**
**नाम**
**मोहर**

**हस्ताक्षर सदर**
**नाम**
**मोहर**

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

(आवेदन के साथ सदर व सचिव दोनों 100/– रू. के स्टाम्प पेपर पर टंकित कर नोटेरी द्वारा सत्यापित कराके प्रस्तुत करें।)

## शपथ–पत्र

1. मैं..................................पुत्र...............................आयु.........जाति.................निवासी.................
...............................................................वर्तमान निवासी..........................................................................
..............................मदरसा.............................................................का सदर हूँ।
2. मैं..................................पुत्र...............................आयु.........जाति.................निवासी.................
...............................................................वर्तमान निवासी..........................................................................
..............................मदरसा.............................................................का सचिव हूँ।

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में उल्लेखित सभी विवरण सही हैं। हमने मान्यता सम्बन्धी नियमों/शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हैं। मदरसा को मान्यता/क्रमोन्नती प्रदान दी जाएगी तो हम मान्यता सम्बन्धी शर्तों से जो तत्सम्बन्धी एवं वर्तमान और समय–समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित नियमों से आबद्ध रहेंगे तथा मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति 2021 के प्रावधानों/शर्तों का अनुपालन करते रहेंगे।

हस्ताक्षर सचिव
नाम
मोहर

हस्ताक्षर सदर
नाम
मोहर

नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner

## राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

## मदरसा क्रमोन्नती आवेदन पत्र की चैक लिस्ट

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वर्तमान में प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम व पते मय फोन नम्बर संलग्न है। | हाँ / नहीं |
| 2. | पंजीयन प्रमाण पत्र (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 3. | भवन के ब्लू प्रिन्ट की प्रति (संलग्न है) | |
| 4. | मदरसे का विधान (दस्तूर) की प्रति (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 5. | भवन किराये का हो तो किराया–विलेख की सत्यापित प्रति। (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 6. | पेयजल की व्यवस्था की पूर्ण विवरण दिया हुआ है। | हाँ / नहीं |
| 7. | विद्युत सप्लाई की व्यवस्था का पूर्ण विवरण दिया हुआ है। | हाँ / नहीं |
| 8. | मदरसा के गत तीन वर्ष के आय–व्यय एवं बैलेन्स शीट चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित। (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 9. | शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ मापदण्डानुसार है। | हाँ / नहीं |
| 10. | मदरसा के पास उपलब्ध फर्नीचर का विवरण। (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 11. | पुस्तकालय– (1) दैनिक समाचार पत्र –दो (2)बालोपयोगी पत्रिका–दो (3) साप्ताहिक पत्रिका–एक (4) पुस्तके–300 उपलब्ध है। | हाँ / नहीं |
| 12. | अध्ययन/अध्यापन सामग्री (1) ब्लैक बोर्ड कक्षानुसार आवश्यक (2) ज्योमेट्री बॉक्स लकडी का बडा–एक (3) ग्लोब बडा–एक (4) चार्ट पाठ्यक्रम के अनुसार (5) मॉडल्स पाठ्यक्रम के अनुसार (6) नक्शे जिला, राज्य, देश, विश्व–एक सैट (7) प्राकृतिक राजनैतिक, वन सम्पदा, खनिज एवं यातायात–एक सैट (8) रोल अप बोर्ड–तीन (9) पाठ्यक्रम–एक सेट (10) पाठ्य पुस्तके–प्रति कक्षा–एक सैट (11) अध्यापक संदर्शिता–प्रति कक्षा एक सैट (12) विज्ञान सामग्री है। | हाँ / नहीं |
| 13. | खेल सामग्री (1) फुटबाल–चार (2) बॉलीबाल मय नेट–चार (3) हैण्डबाल–दो (4) सॉफ्ट बॉल–दो (5) शॉट पुट (जुनियर)–एक (6) डिस्क (जूनियर)–एक (7) जेवेलियन–एक उपलब्ध है। | हाँ / नहीं |
| 14. | विद्यार्थी कल्याण के लिए विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम, खेल एवं प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। | हाँ / नहीं |
| 15. | क्रमोन्नयन हेतु मदरसा जिस श्रेणी का है उसकी अर्हताएँ पूर्ण करता है व मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन नीति 2021 के प्रावधानों/शर्तों/मापदण्डों को पूर्ण करता है। | हाँ / नहीं |
| 16. | मदरसा क्रमोन्नत शुल्क 1000/– रूपये की रसीद (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 17. | मदरसा के नाम 10000/– रूपये की एफ.डी. खाते में है। | हाँ / नहीं |
| 18. | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (संलग्न है) | हाँ / नहीं |
| 19. | अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शपथ–पत्र 100/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जो नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हैं। (संलग्न है) | हाँ / नहीं |

**हस्ताक्षर सदर** **हस्ताक्षर सचिव**

प्रमाणित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 19 तक की जांच मेरे द्वारा मूल दस्तावेजों से कर ली गई है व मेरे द्वारा मदरसे का भौतिक सत्यापन दिनांक ........................ को कर लिया गया है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नयन की अभिशंषा की जाती है।

**हस्ताक्षर**
**जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी**

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

अध्यक्ष
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

Scanned with CamScanner